(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 22/2024

रजिस्ट्रेशन सं0 :– 2024/82

बउनवान

1. रामचरण पुत्र कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)
2. महावीर पुत्र कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज.)
3. हीरालाल पुत्र प्रभूलाल माली निवासी सारोलाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज.)

(अपीलांटगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय छीपाबड़ौद जिला बारां
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी, जल संसाधन विभाग वृत्त, बारां
3. राजाराम पुत्र कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
4. धनराज पुत्र कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
5. जसराज पुत्र कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
6. मनभरबाई पुत्री कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
7. प्रेमबाई पुत्री कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
8. गीताबाई पुत्री पुत्र कालूलाल माली निवासी पीपलाद तहसील खानपुर जिला झालावाड़
9. रामनारायण पुत्र प्रभूलाल माली निवासी सारोलाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़
10. राधेश्याम पुत्र प्रभूलाल माली निवासी सारोलाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़
11. मांगीबाई पुत्री प्रभूलाल माली निवासी सारोलाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़
12. नंदकंवर पुत्री प्रभूलाल माली निवासी सारोलाकलां तहसील खानपुर जिला झालावाड़
13. धन्नालाल पुत्र भंवरलाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
14. पन्नालाल पुत्र भंवरलाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
15. भैरूलाल पुत्र मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
16. दिनेश पुत्र मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
17. मूलचंद पुत्र मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
18. शोभाबाई पुत्री मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
19. सीनाबाई पुत्री मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
20. भावनाबाई पुत्री मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
21. फूलाबाई पत्नी मथुरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
22. रामेश्वर पुत्र हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
23. शिवशंकर सुमन पुत्र हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
24. सुरेश पुत्र हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
25. मांगीबाई पुत्री हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
26. लीलाबाई पुत्री हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
27. रेखाबाई पुत्री हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां
28. कलावतीबाई पुत्री हीरालाल माली निवासी बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

(रेस्पोडेन्टगण)

अपील विरूद्ध तहसीलदार छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल [illegible] 1067 दिनांक 14.12.2020 [illegible] बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–
1– श्री गोविन्द मुरारी गौतम अभिभाषक (अपीलांटगण)
2– पेरोकार सरकार (रेस्पो. क्रम 1)
3– अनुपस्थित (रेस्पो. क्रम 2)
4– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 3 ता 8)
5– श्री शैलेष मेहता अभिभाषक (रेस्पो. क्रम 9 ता 28)

<u>निर्णय दिनांक 27.01.2025</u>

अपीलांटगण द्वारा जरिये विद्वान अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1067 दिनांक 14.12.2020 वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेन्टगण के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील दिनांक 08.05.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद से मूल इंतकाल तलब किया गया, जो उनके कार्यालय के पत्रांक 1185 दिनांक 18.06.2024 से प्राप्त हुआ जो संलग्न पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट क्रम 01 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित है। रेस्पो. क्रम 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित है। रेस्पो. क्रम 03 ता 28 द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में रेस्पो. क्रम 03 ता 08 द्वारा इस न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपील स्वीकार किए जाने में सहमति प्रस्तुत की गई एवं रेस्पो. क्रम 09 ता 28 द्वारा अपील स्वीकार किए जाने हेतु लिखित में सहमति प्रस्तुत की गई। प्रकरण मे उभयपक्ष के अभिभाषक की अंतिम बहस सुनी गई ।

अपीलांटगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कहा गया कि उक्त इंतकाल संख्या 1067 ग्राम बिलेण्डी को रेस्पो. क्रमांक 01 के द्वारा निर्णित करते समय उक्त खातेदारान को उक्त आराजी ग्राम बिलेण्डी का मुआवजा मिला हीं नहीं। इसकी सही रूप से जांच नहीं की क्योंकि उक्त आराजी में रेस्पो. क्रमांक 13 ता 14 व रेस्पो. क्रम. 15 ता 28 के पिता मथुरालाल, हीरालाल जो कि मृतक है, उनको हीं उनके हिस्से 2/3 का मुआवजा प्राप्त हुआ है। शेष खातेदारान अपीलांट व रेस्पो. क्रम 3 ता 12 को उनका हिस्सा 1/3 का मुआवजा राशि का चैक प्राप्त नहीं हुआ है और रेस्पो. क्रम 01 के द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 1067 से दिनांक 14.12.2020 को निर्णित कर उक्त संपूर्ण आराजी ग्राम बिलेण्डी को वर्तमान में रेस्पो. क्रम 02 के खाते दर्ज कर कानूनी भूल की गई है। उक्त आराजी ग्राम बिलेण्डी पर एक वादपत्र माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर, छीपाबड़ौद में उनवान मथुरालाल वगैराह बनाम धनराज वगैराह जैरकार है जो अभी वर्तमान में सुनवाई स्तर पर है। उक्त आराजी में अपीलांट क्रमांक 01 ता 02 व रेस्पो. क्रमांक 3 ता 7 के द्वारा आराजी खसरा नं. 105,106,107,134,246,247 कुल किता 06 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में एक हकत्याग पत्र उपपंजीयक सब तहसील हरनावदाशाहजी में रेस्पो. क्रमांक 13 ता 14 व रेस्पो. क्र. 15 ता 28 के पितागण मृतक मथुरालाल व हीरालाल के पक्ष में तस्दीक करवा दिया था लेकिन उक्त इंतकाल रेस्पो. क्रमांक 01 के द्वारा निर्णित किये जाने से उक्त संपूर्ण आराजी रेस्पो. क्रम 02 के दर्ज खाते होने से उक्त हकत्याग का अमल नहीं हो पाया है। वर्तमान में अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 ता 14, रेस्पो. क्रम 15 ता 28 के पिता मृतक मथुरालाल व हीरालाल के खाते में नाम नहीं होने से उक्त इंतकाल अमल नहीं हो पाया है। इसलिये उक्त इंतकाल निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल संख्या 1067 ग्राम बिलेण्डी को निरस्त किया जाकर अपीलांट व रेस्पो. क्रम 03 ता 14 व रेस्पो. क्रम 15 ता 28 के मृतक पिता/पति मथुरालाल व हीरालाल के नाम उक्त खाता पूर्व स्थिति में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट क्रम 01 तहसीलदार, छीपाबड़ौद की ओर से पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/48 दिनांक 03.01.2025 से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि मुताबिक जमाबंदी ग्राम बिलेण्डी संवत् 2071–74 में ग्राम बिलेण्डी की आराजी खसरा नं. 105 रकबा 15–08 बीघा खसरा नं. 106 रकबा 1–14 बीघा खसरा नं. 107 रकबा 3–04 बीघा, खसरा नं0 134 रकबा 5–18 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 0–10 बीघा, खसरा नं. 247 रकबा 1–11 बीघा, खसरा नं. 248 रकबा 0–13 बीघा खसरा नं. 249 रकबा 0–10 बीघा खसरा नं. 250 रकबा 1–14 बीघा, खसरा नं0 251 रकबा 2–14 बीघा, खसरा नं. 307 रकबा 3–17 बीघा, खसरा नं. 483 रकबा 0–02 बीघा कुल किता 12 कुल रकबा 37–15 बीघा भूमि हीरालाल, मथुरालाल,

धन्नालाल, पन्नालाल, पुत्रगण भंवरलाल हिस्सा 2/3 हिस्सा बराबर रामनारायण, हीरालाल, राधेश्याम पुत्रगण प्रभूलाल मांगीबाई, नंदकंवर पुत्रियां प्रभूलाल हिस्सा 1/6 हिस्सा बराबर धनराज, रामचरण, राजाराम, महावीर, जसराज पुत्रगण कालूलाल प्रेमबाई, मनभरबाई, गीताबाई पुत्रियां कालूलाल हिस्सा 1/6 हिस्सा बराबर जाति माली साकिनदेह (नामांतरण संख्या 949 दिनांक 28.08. 2019) के खाते दर्ज थी। उक्त आराजी नामांतरण नं. 1067 दिनांक 14.12.2020 से परवन वृहद् सिंचाई परियोजना वृत्त झालावाड़ के नाम दर्ज खाते हुई है। उक्त आराजी के संबंध में माननीय न्यायालय उपखंड अधिकारी, छीपाबड़ौद के यहां उनवान मथुरालाल वगेराह बनाम धनराज वगैराह प्रकरण जैरकार है। उक्त आराजी में से खसरा नं. 105 रकबा 15—08 बीघा खसरा नं. 106 रकबा 1—14 बीघा, खसरा नं. 107 रकबा 3—04 बीघा, खसरा नं. 134 रकबा 5—18 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 0—10 बीघा खसरा नं. 247 रकबा 1—11 बीघा कुल किता 6 कुल रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा भूमि में खातेदार धनराज, रामचरण, राजाराम, महावीर, जसराज पुत्रगण कालूलाल, प्रेमबाई, मनभरबाई पुत्रियां कालूलाल ने अपने संपूर्ण हिस्से 7/48 का हकत्याग सहखातेदार हीरालाल, मथुरालाल, धन्नालाल, पन्नालाल पुत्र भंवरलाल जाति माली के पक्ष में समभाग से कर दिया है। खातेदारान् हीरालाल, मथुरालाल, धन्नालाल, पन्नालाल पुत्र भंवरलाल हिस्सा 2/3 द्वारा उक्त खाते में हिस्सा 2/3 का चैक प्राप्त कर लिया है।

रेस्पो. क्रम 03 ता 28 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि इंतकाल संख्या 1067 दिनांक 14.12.2020 ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद के खारिज होने के संबंध में एक अपील माननीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें तारीख पेशी नियत है। उक्त अपील को हम स्वीकार करते है एवं उक्त अपील में चाहा गया अनुतोष हमारे द्वारा स्वीकार है।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार किए जाने में सहमति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार, छीपाबड़ौद के पत्र क्रमांक/भू.अ. /2025/48 दिनांक 03.01.2025 से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण अपील के अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1067 दिनांक 14.12.2020 वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां से अप्रसन्न होकर उक्त इंतकाल की अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा अपील स्वीकार किए जाने हेतु सहमति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण इस प्रकार है कि उक्त खातेदारान को उक्त आराजी ग्राम बिलेण्डी का मुआवजा मिला हीं नहीं। इसकी सही रूप से जांच नहीं की क्योंकि उक्त आराजी में रेस्पो. क्रमांक 13 ता 14 व रेस्पो. क्रम. 15 ता 28 के पिता मथुरालाल, हीरालाल जो कि मृतक है, उनको हीं उनके हिस्से 2/3 का मुआवजा प्राप्त हुआ है। शेष खातेदारान अपीलांट व रेस्पो. क्रम 3 ता 12 को उनका हिस्सा 1/3 का मुआवजा राशि का चैक प्राप्त नहीं हुआ है और रेस्पो. क्रम 01 के द्वारा उक्त इंतकाल संख्या 1067 से दिनांक 14.12.2020 को निर्णित कर उक्त संपूर्ण आराजी ग्राम बिलेण्डी को वर्तमान में रेस्पो. क्रम 02 के खाते दर्ज कर कानूनी भूल की गई है। उक्त आराजी ग्राम बिलेण्डी पर एक वादपत्र माननीय न्यायालय उपजिला कलक्टर, छीपाबड़ौद में उनवान मथुरालाल वगैराह बनाम धनराज वगैराह जैरकार है जो अभी वर्तमान में सुनवाई स्तर पर है। उक्त आराजी में अपीलांट क्रमांक 01 ता 02 व रेस्पो. क्रमांक 3 ता 7 के द्वारा आराजी खसरा नं. 105,106,107,134,246,247 कुल किता 06 रकबा 28 बीघा 05 बिस्वा में एक हकत्या[illegible] हरनावदाशाहजी में रेस्पो. क्रमांक 13 ता 14 व रेस्पो. क्र. 15 ता 28 के पितागण [illegible]लाल व हीरालाल के पक्ष में तस्दीक करवा दिया था लेकिन उक्त इंतका[illegible] जाने से उक्त संपूर्ण आराजी रेस्पो. क्रम 02 के दर्ज खा[illegible] नहीं हो पाया है। वर्तमान में अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 ता 14, रेस्पो. क्रम 15 ता 28 के पिता मृतक मथुरालाल व हीरालाल के खाते में नाम नहीं होने से उक्त इंतकाल अमल नह[illegible] पाया है। इसलिये उक्त इंतकाल निरस्त होने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested

परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबड़ौद के द्वारा तस्दीकी इंतकाल नम्बर 1067 दिनांक 14.12.2020 वाके ग्राम बिलेण्डी तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां को खारिज किया जाता है।

प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छीपाबडौद को इस आदेश के साथ रिमाण्ड/प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांटगण व रेस्पो. क्रम 03 ता 14 व रेस्पो. क्रम 15 ता 28 के मृतक पिता/पति मथुरालाल, हीरालाल के नाम उक्त खाता नामांतरण संख्या 1067 के पूर्व की स्थिति में दर्ज किया जावे एवं मृतक खातेदारान के विधिक वारिसान की जांच कर उनके नाम विधिवत् नामांतरण की कार्यवाही की जावें एवं शेष हिस्सा 1/3 का नियमानुसार मुआवजा भुगतान पूर्ण होने के पश्चात् परवन वृहद सिंचाई परियोजना, जल संसाधन वृत्त, झालावाड़ में अवाप्त भूमि का आदेश क्रमांक/2018–19/ 2428 तहसील क्रमांक/भू.अ./510 के अनुसार रकबा 37.15 का इंतकाल तस्दीक किया जावें।

निर्णय आज दिनांक **27.01.2025** को मेरे द्वारा सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.03.21 12:50:31 IST
Reason: SelfAttested